राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313001
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: 0294 - 2410526

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी/2016–17/35 दिनांक 31.1.2017

संशोधित गाईडलाईन – 1

निदेशालय द्वारा क्रमांक निदे/प.2/कास/RTPP/2016/323 दिनांक 25.1.2017 से ई–ऑक्शन के द्वारा आर.सी.सी. एवं ई.आर.सी.सी. ठेके दिये जाने की प्रकिया एवं बोलीदाता के लिये जारी की गई गाईडलाईन (अन्तर्गत एम.एम.सी.आर. 1986 के नियम 35ऐ) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. बिन्दु संख्या 6(ii) में दी गई सारणी के पश्चात " आवेदन शुल्क ई–ग्रास/विभागीय वेबसाईट www.dmg-raj.org पर ऑन–लाईन जमा कराना होगा।" के स्थान पर "आवेदन शुल्क संबंधित कार्यालय में जरिये डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा ई–ग्रास/विभागीय वेबसाईट www.dmg-raj.org पर ऑन–लाईन जमा कराना होगा।" पढा जावे ।

2. बिन्दु संख्या 15 में दिये गये प्रथम स्पष्टीकरण के पश्चात निम्नानुसार द्वितीय स्पष्टीकरण निम्नानुसार जोडा जाता है :–

   "उदाहरणार्थ जिस ठेके की आरक्षित राशि रूपया 10 लाख से कम है, उन मामलो में पहले राउण्ड में तीन व्यक्ति अ, ब, स योग्य पाये गये हैं एवं बोलीदाता 'स' के द्वारा रूपया 9.15 लाख का प्रारम्भिक मूल्य ऑफर किया है, जो उच्चतम है। द्वितीय राउण्ड की बोली 9.15 लाख से शुरू होगी एवं कोई भी बोलीदाता अ, ब या स रूपया 9.15 लाख लगा सकता है । माना कि बोलीदाता 'अ' के द्वारा 9.15 लाख की बोली लगाई गई है तो पहले राउण्ड के 'स' की यह बोली नहीं रहेगी बल्की बोलीदाता 'अ' की बोली 9.15 लाख मानी जायेगी । इसके पश्चात जो भी बोलीदाता बोली बढायेंगे उन्हे कम से कम रूपया 5000/– बढानी होगी अर्थात रूपया 6000/– भी बढाई जा सकती है ।"

(आर.के. नलवाया)
अतिरिक्त निदेशक(खान),
मुख्यालय– उदयपुर

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313001
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: 0294 - 2410526

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी/2016–17/34 दिनांक 31.1.2017

संशोधित निलामी विज्ञप्ति – 2

निदेशालय की नीलामी विज्ञप्ति कमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/2016–17/27 दिनांक 25.1.2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. विज्ञप्ति के प्रथम पैरा की प्रथम लाईन में अंकित "नियम 32 ए" के स्थान पर "नियम 32" पढा जावे ।

2. क्र.स. 36 पर अंकित ठेका क्षेत्र का विवरण "जिला चुरू की तहसील सुजानगढ के क्षेत्र सारोठिया, जीली, परेवडा, चरला व तहसील बीदासर (बीदासर क्वारी क्षेत्र को छोडकर) एवं जिला बीकानेर की तहसील श्री डूंगरगढ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन" के स्थान पर "जिला चुरू की तहसील सुजानगढ के क्षेत्र सारोठिया, जीली, परेवडा, चरला एवं तहसील बीदासर के क्षेत्र जैतासर, मानपुरा (छोटी घंटियाल) व बीदासर (क्वारी क्षेत्र को छोडकर) एवं जिला बीकानेर की तहसील श्रीडूंगरगढ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन" पढा जावे ।

(आर.के. नलवाया)
अतिरिक्त निदेशक(खान),
मुख्यालय– उदयपुर